



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division , CHHINDWARA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रयोगशाला
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020920/FNOC/COL/2025/2884
आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 23, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : SKYLINE SCHOOL JAM
आवेदक का पता / Applicant Address : PROGRESSIVE EDUCATION & SOCIAL WELFARE SOCIETY
SKYLINE SCHOOL JAM T GRAM- JAM, KH, NO. 327 CHHINDWARA
480106
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 2997 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : SKYLINE SCHOOL JAM AT GRAM- JAM, KH, NO. 327 P.H. NO.
158, TEH SAUN SAR PANDURNA District Rural Area
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100020920 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट्स से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

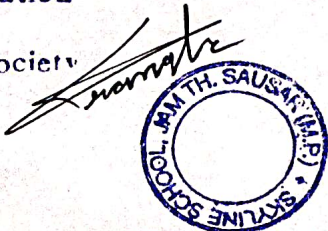
गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.

BS Khundar
Secretary

Progressive Education
and
Social Welfare Society



Page 1 of 4

PL
PRINCIPAL
SKYLINE SCHOOL, JAM



Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division, CHHINDWARA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100020920/FNOC/COL/2025/2884

आवेदन की तिथि / Application Date : Apr 23, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name : SKYLINE SCHOOL JAM

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.

S.S. Khundar
Secretary
Progresive Education
and
Social Welfare Society

PL

PRINCIPAL
SKYLINE SCHOOL, JAM





Office Of JABALPUR Collector/Fire Officer,
JABALPUR Division, CHHINDWARA
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number

: 6100020920/FNOC/COL/2025/2884

आवेदन की तिथि / Application Date

: Apr 23, 2025

जावक की तिथि / Dispatch Date : 24-Jun-25

आवेदक का नाम / Applicant Name

: SKYLINE SCHOOL JAM

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

((2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लान के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को स्वीकृत मानचित्र अनुसार फायर उपकरणों का रख रखाव समय समय पर करना अनिवार्य है।

(6) आवेदक/स्वामी को समस्त सक्षम अधिकारियों से प्रकरण में प्राप्त एन ओ सी तथा शर्तों का पालन करना बंधनकारी होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

S. S. Khewda
Secretary

Progressive Education
and

Social Welfare Society

RL

PRINCIPAL
SKYLINE SCHOOL, JAM

